

# NEERAJ MANDL<sup>01</sup>

Q.1. (5.1) Continued (जारी)

निबंध

भारत में स्वास्थ्य : स्थिति, समस्या तथा सुधार

"पहला सुख निरोगी काया"

वर्तमान में मनुष्य चाहे जितना विकसित क्यों न हो जाय, अच्छे स्वास्थ्य के बिना उसकी सभी उपलब्धियाँ व्यर्थ हैं।

हाल ही में हमें कोरोना महामारी ने यह सिद्ध कर दिया कि मनुष्य की मूलभूत जरूरतें क्या हैं।

भारत में आदि काल से भी एक स्वस्थ शरीर को महत्व दिया गया है।

'एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है'। हमारे विश्व प्रसिद्ध चिकित्सक आचार्य चरक, सुसुत्र, आजीवक आदि ने मानव सभ्यता को अनेक विधियों व सूत्रों द्वारा

आज भी भारत में स्वास्थ्य मंत्रालय के

साथ-साथ आयुष मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय आदि भारत के स्वास्थ्य सेवाओं

को देखते हैं व योजना तैयार करते हैं।  
भारत अपनी जीडीपी का लगभग  
1.7% भाग स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय  
करता है। कोरोना महामारी के समय विश्व  
ने भारत की मानवीय नेटवर्क प्रत्यक्ष  
रूप से देखा। तब जबकि कई देस  
अपनी विकास गति को प्रथम प्राथमिकता  
दे रहे थे भारत ने भारतीयों को  
प्राथमिकता देते हुए, डचित पर लॉकडाउन  
करने का निर्णय लिया। लोगों को  
निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएँ मुहैया कराई।  
यही नहीं, जब भारत ने स-वनिर्मित  
टीके का निर्माण किया तो इसे प्रमुख  
तरीके से भारत के साथ-साथ अन्य  
देशों तक पहुँचाया।

भारत में ज्ञान स्वास्थ्य व्यवस्था  
की बात करें तो वो ओर सीमित की  
अनुशासना पर भारत ने नियन्त्रित  
स्वास्थ्य प्रणाली अपनाई।

भारत में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र, मिली सस्की सहकारी अस्पताल तथा स्थानीय क्षेत्र हेतु 'सब सेन्टर' स्वास्थ्य संस्थान हैं।

सब सेन्टर में एक चिकित्सक, एक नर्स अथवा मिडवाइफ के साथ-साथ अन्य पैरामेडिकल स्टाफ होता है। सब सेन्टर उन स्थानों पर स्थापित किया जाता है जहाँ जनसंख्या 5000 से अधिक है। पहाड़ी या दुर्गम स्थानों पर एक संख्या मात्र 3000 है।

प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र, सब केन्द्र व कम्युनिटी सेन्टर के मध्य मध्यपूर्ण कड़ी है। प्राथमिक चिकित्सा में चिकित्सक, नर्स व अन्य पैरामेडिकल स्टाफ होता है। केन्द्र स्थापना हेतु जनसंख्या 30 हजार होनी आवश्यक है। तथा पहाड़ी क्षेत्रों में 20 हजार। प्रत्येक प.से 5 सब सेन्टर पर एक प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र होता है।



कम्युनिटी सेन्टर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के ऊपर की श्रेणी हैं। जहाँ उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ-साथ विशिष्ट चिकित्सकों की न्यु नियुक्ति की जाती है। जिसमें महिला एवं शिशु विशेषज्ञ, हृदय रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ आदि शामिल हैं। केन्द्रों की आवश्यक जनसंख्या एक लाख बीस हजार व पचासी क्षेत्रों में १० हजार निश्चित की गई है।


त्रि-स्तरीय व्यवस्था के अतिरिक्त जिला स्वास्थ्य केन्द्र, निजी संस्थान आदि भी स्वास्थ्य सेवा दे रहे हैं। भारत में निजी संस्थानों में निवेश बढ़ा है। वे आज उन्नत तकनीक व व्यवस्थित तरीके से स्वास्थ्य सेवा देने में सक्षम हैं।

आयुष मंत्रालय भारत सरकार की मनुष्यी व महत्वपूर्ण पहल है जिसमें पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली को बढ़ावा दिया जा रहा है।


भारत में स्वास्थ्य समस्याओं का अंवार है। 15वें वित्त मायोग की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की स्वास्थ्य संरचना, पुररत के कुतातिकु नहीं है।

भारत में प्रति 1400 लोगों पर मात्र एक चिकित्सक है। ग्रामीण क्षेत्रों की जात करे तो वहाँ मह भौंडा और भी गंभीर है।

ग्रामीण भारत में देश की 68% जनसंख्या विकास करती है परन्तु मात्र 16% वेड उपकथता है।



ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधा



ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या प्रातेबात

जब कोरोना महामारी का अतिक्रमण भारत में हुआ तो भारत मौजूदा स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ इससे लड़ने में सक्षम नहीं था क्योंकि भारत में मात्र कुछ ही सांख्यिक सिलेंडर निर्माता थे। इटीयू का कमी, चिकित्सकों की कमी, अस्पतालों का कमी, सुदूर क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने की समस्या यदि भौतिकीय समस्याएं थी जो इजाजत डर।

एलोपैथी चिकित्सा अधिक खर्चीली है। जिसके चलते कई व्यक्ति अस्पतालों में इलाज करवाने से कतराते हैं। भारत में ६६% व्यक्ति टी.वी. का संपूर्ण इलाज पूरा ही नहीं कर पाते।

साथ ही चिकित्सालयों की घनत्व की आवश्यकता अनुसार नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को इलाज हेतु



सम्बन्धी मात्रा करना होती है जिससे व्यय वृद्धि होती है।

महिलाएँ व शिशु मूल रूप से स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं से अभाव में प्राण त्याग देते हैं। भारत में मातृ मृत्यु दर 113 प्रति सत्रक व शिशु मृत्यु दर 32 प्रति हजार है जो एक गंभीर आंकड़ा है। वहीं मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार आदि राज्यों में मातृ मृत्यु दर व शिशु मृत्यु दर एक और भी अधिक है।

बच्चों में कुपोषण उपा. है। अर्थात् हर तीन में से एक बच्चा कुपोषण का शिकार है। हाल ही में इसे भारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अनुसार भारत की स्थिति 117 देशों में 102 वीं है। भारत में स्टैटिंग 34%, वेस्टिंग 17% व पोषण की कमी 32% है। कुल 58% शिशु एनिमिया जैसी गंभीर बीमारी के शिकार हैं।

जीति मायोग की रिपोर्ट के अनुसार  
भारत को कुल बजट का 2% भाग  
चिकित्सा में लगाने का आवश्यकता है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत  
5 प्रमुख मूलभूत मामलों को शामिल  
किया गया है।

पहला है, महिलाओं व बच्चों का संपूर्ण  
विकास। इसके लिए महिला एवं बाल विकास  
मंत्रालय के तालमेल से 'रामनचा' कार्यक्रम  
चलाया जा रहा है। जिसमें परिवार स्वास्थ्य  
से बालक को 18 वर्ष तक के होने तक  
एक व्यापक कवरेज है।

दूसरा, अधिसंचरण में पीपीपी मॉडल को  
बढ़ावा देना व निरवरोधी सहायता से  
स्वास्थ्य सुविधाओं को विस्तारित करना।

तीसरा, असंक्रमित (नॉन कम्युनिडेबल) रोगों  
जैसे कैंसर, मधुमेह, रक्तचाप आदि को रोकना



प्रश्न: (2.2) Continued (जारी)

स्वास्थ्य चेकअपस् को बढ़ाना। साथ ही इनके होने वाले व्यय को कम करना। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय एड्स कार्यक्रम, मधुमेह कार्यक्रम आदि संचालित किये जा रहे हैं।

चौथा, संक्रमण रोग जैसे कोरोना, मलेरिया डेंगू, डालाजर, घाची पाँव आदि हेतु राज्य व स्थानीय सरकारों के साथ मिलकर सहायता-सावधानी संबंधी जानकारी देना व मेडिसिन्स उपलब्ध करवाना शामिल है।

पाँचवा, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की गुणवत्ता बढ़ाना व उपलब्धता सुनिश्चित करना। इस हेतु उन्नत प्रशिक्षण संस्थान व अनुसंधान आदि स्थापना व मौजूदा व्यवस्था को और अधिक विश्व स्तरीय बनाना है।

डिजिटलीकरण के चलते टेलीमेडिसिन का चलन बढ़ा है परन्तु यह सुविधा के इकरी ग्रामीणों तक पहुँचना बाँकी है।

उत्तर:

बजट 2021 में स्वास्थ्य संचरना में लिये कुल 40000 करोड़ का मानदेय निश्चित हुआ है साथ ही पीपीपी मॉडल को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है।

आयुषमान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा स्कीम है इसके अंतर्गत एक परिवार को 8 लाख तक की स्वास्थ्य सेवाएँ दी जा रही हैं।

भारत में कुपोषण से लड़ने के लिए पोषण अभियान 2.0 चलाया है जिसका लक्ष्य कुपोषण को 2022 तक खत्म करने का है।

स्वास्थ्य सेवाओं के साथ-साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता व स्वस्थ जीवन शैली पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से युवा देश है परन्तु 2050 तक 19% जनसंख्या वृद्ध होगी। एक व्यापक स्वास्थ्य नीति की आवश्यकता है।

② राजभाषा हिन्दी का विकास यात्रा ।

हिन्दी, अपभ्रंश से विकसित हुई है। हिन्दी मूल भाषा संस्कृत है। हिन्दी विकास 8वीं शताब्दी से होना प्रारंभ हुआ। जब सरहपा, शक्तिमरुत शालिमरुत सूरी झापे ने अपनी रचनाओं के माध्यम से इसे विस्तार दिया। 10वीं व 11वीं शताब्दी के प्रमुख कवि चंद्रवार्द्धाई ने 'धृष्टीराज रासो' के साथ इसी स्वरूप को लोडजन तक पहुँचाया। परन्तु हिन्दी साहित्य का स्वर्ण युग भक्तिकाल से प्रारंभ हुआ। जहाँ कवि तुलसीदासजी और रामचरित मानस, शूरदासजी की शूरसाधार, मीराजी के भजन भावों घर-घर की दिनचर्या में शामिल हो गये।

आधुनिक भारत के भारतेन्दु हरिचंद्र ने अपनी अनेक रचनाओं के माध्यम से हिन्दी की शोधावली को सुरंगगत किया। द्विवेदी काल के कवि एजारीप्रसाद द्विवेदी,



रामधारी सिंह दिनकर, अयोध्या प्रसाद जी आदि ने  
अपनी रचनाओं के माध्यम से भारतीय समाज का  
जीवंत चित्र ~~उकेरे~~ उकेरे हुये हिन्दी का  
राज भाषा बना दिया। इसके बाद धायतादी युग  
में मैथिलीकारण गुप्त, सुभद्राकुमारी चौहान, आदि ने प्रयोग  
प्रारंभ किये व भाषा को एक गूढ़ता प्रदान करी।  
इसके बाद प्रयोगवादी कवियों ने व लेखकों ने हिन्दी  
को राष्ट्रभाषा हेतु तैयार कर लिया था। अखिरत थी  
तो उस प्रशासन द्वारा ही इसे अपनाई जाने ली।  
भारतीय संविधान में हिन्दी भाषा को राजभाषा हेतु  
बनाने के लिये उचित प्रवधान किये गये। स्वतंत्रता  
के ~~प्रारंभ~~ बाद अंग्रेजी का सम्पूर्ण राजपत्रावली हेतु  
प्रयोग 15 वर्ष तक जारी रखने की बात हुई।  
अस वीच रामचंद्र शुक्ल, व अन्य विद्वानों द्वारा हिन्दी  
पारिभाषिक शब्दावली तैयार की गई।

अधिनियम 1968 व नियम 1976 के द्वारा भारत के विभिन्न हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी का प्रयोग अनिवार्य किया गया तथा अन्य राज्यों में भी इसके प्रसार को बढ़ावा दिया गया। इसके लिए विभागीय व त्रिभाषीय त्रिभाषीय शूल अपनाये गये।

वर्तमान समय में हिन्दी न केवल भारत में अन्य देशों में बोली व समझी जाने वाली प्रमुख भाषा है। विश्व हिन्दी सम्मेलन का आयोजन इसके प्रसार व विस्तार हेतु किया जाता है।

वैश्वीकरण के कारण हिन्दी में नयी शब्दावली आई है। परन्तु भाषा का इस समय प्रयोग कम भी हुआ हिन्दी में कम्प्यूटीकरण व विश्व शब्दावली की आवश्यकता स्पष्ट है। हिन्दी में किसी भी अन्य भाषा से अधिक प्रयोग होना है। हिन्दी को प्रमाणित बनाने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

## ई-गवर्नेंस

नवोन्मुखी इलेक्ट्रॉनिक सुशासन एक बढ़ाई शासन व्यवस्था है जिसमें पारदर्शिता, व जनता की भागीदारी बढ़ती है। ई गवर्नेंस के तीन प्रमुख आयाम हैं।

ई-प्रशासन, ई-भागीदारी तथा ई-वितरण।

ई गवर्नेंस से लाभ: इस माध्यम से पारदर्शिता में वृद्धि होगी। जनता का प्रवालन में विश्वास बढ़ेगा। उदाहरण: किसी निवृत्त का आंगनवाड़ी प्रकाशन, फिर आंगनवाड़ी विडिंग तथा स चयनित विडर की आंगनवाड़ी स सूची। कार्य प्रणाली को स्पष्ट व सरल बनाती ई गवर्नेंस अष्टाचार निवारण के लिए अस्म प्रयत्न प्रणाली का साक्षि हो सकती है।



पुनर्निर्माण : इंटरनेट की पहुँच प्राथमिक क्षेत्रों में  
30% से कम है। तथा ई-साक्षरता  
में कमी है।

प्रशासन के कर्मचारी भी नई तकनीक से  
पूरित: अवगत नहीं है। इसे क्रियान्वयन के  
कार्य के लिये उपलब्धता व डिजिटल  
डिजीटल साक्षरता बढ़ाने की आवश्यकता है।

प्रशासन के प्रयास : कर्मचारी मिशन के अंगत

ई-ट्रेनिंग आदि की व्यवस्था, कौशल विकास  
कार्यक्रम के अंगत कम्प्यूटर की अनिवार्य  
ट्रेनिंग, धर्क स्पीड इंटरनेट से हेतु निजी  
कम्पनियों के करार आदि क्रमशः द्वारा  
प्रशासन ई-गवर्नेंस की ओर अग्र  
अग्रसर है।

भाग की राह हुनौतियों से भरी है क्योंकि  
ई-गवर्नेंस में डाटा चोरी भादि जैसी  
समस्याएँ हों। जिसके लिए प्रशासन को  
एक व्यवस्थित नीति निर्माण करनी होगी।

ई-गवर्नेंस भारतीय शासन व्यवस्था में एक  
नई श्वारत लिखेगी। इसके परिणाम अभी  
से दिखने शुरू हो गई। सर्किजलिस् श्वाद्य  
वितरण प्रणाली में इसके उपयोग से, नीति  
आयोग के अनुसार 25% अपव्यय कम  
हुगा है तथा 29% नये हितग्राही व्यवस्था  
से शुरू हुए हैं।